

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा  
ब्लॉक-सी-30 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन,  
नया, रायपुर (छ.ग.)

—00—

कमांक / 689 /

/आउशि/ समन्वय / 2017

रायपुर, दिनांक 04 / 08 / 2017

प्रति,

1. कुल सचिव,  
समस्त विश्वविद्यालय,  
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,  
समस्त महाविद्यालय,  
छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश  
मार्गदर्शिका सिद्धांत में संशोधन बाबत

संदर्भ :- 1. अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 7 -  
16 / 2017 / 38-2 नया, रायपुर, दिनांक 04.08.2017.

—00—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।, शैक्षणिक सत्र 2017-18 हेतु जारी प्रवेश मार्ग दर्शिका के कंडिका 5.5(क) में संशोधन किया गया है। कृपया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रवेश कार्य सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

प्रवेश मार्गदर्शिका के शेष कंडिका यथावत है, उनमें किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं किया गया है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2017-18 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

  
(डॉ. किरण गजपाल)


संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)


पृ.कमांक / 690 /  
प्रतिलिपि :-

/आउशि/ समन्वय / 2017

रायपुर, दिनांक 04 / 08 / 2017

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ।

  
Principal  
Dr. Balmrao Ambedkar Govt. College,  
Pamgarh, Dist. Jangir Champ, 3,  
Chhatnaisgarh 495534

  
संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
:: मंत्रालय ::  
महानदी भवन, नया रायपुर

—0—

नया रायपुर, दिनांक 04/08/2017

क्रमांक एफ 7-16/2017/38-2

प्रति,

आयुक्त,

उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इन्द्रावती भवन,  
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय:-

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत हेतु प्रेषित प्रस्ताव (एल.एल.एम. में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक) में संशोधन बाबत।


संदर्भ:-

आपका नस्ती जावक क्रमांक 368/आउशि/ दिनांक 03.07.2017


उपरोक्त विषयांतर्गत वर्ष 2017-18 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका की कंडिका 5.5(क) में निहित वर्तमान प्रावधान "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40 प्रतिशत) होगी तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी के स्थान पर संशोधित कर "पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के अध्यादेश क्रमांक 60 के "कंडिका-3 ए" में निहित प्रावधानों को आधार मानते हुए-"विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40 प्रतिशत) होगी तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओ.बी.सी. हेतु 50 प्रतिशत) प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी,"- पढ़ा जाए।

कृपया सभी संबंधित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को उक्त संशोधित आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए इसमें दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(माननीय मंत्री जी द्वारा अनुमोदित)

  
(नलिनी माथुर)  
अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग



Principal

Dr. Bhimrao Ambedkar Govt. College,  
Pamgarh, Dist. Janjgir Champ.,  
Chhattisgarh 495534